मु.नं.–56 / 2021 GCMS ID-2021/96 ता.रजु–07.07.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

वैभव बैमाड़ निवासी बी–23, जय जवान अपार्टमेंट, विद्याधर नगर, सैक्टर–1, जयपुर – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सपोटरा – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 20.07.2021, 28.07.21, 05.08.21, 12.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर दिनांक 01.06.2011 से 31.05.2021 तक की अवधि की (1) ग्राम हाड़ौती तहसील सपोटरा की आबादी भूमि खसरा नं. 576 रकबा 82.6 बीघा की आदिनांक तक की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, (2) उक्त खसरा से पट्टाधारक रमेश चंद पुत्र केशू जाति कोली निवासी हाड़ौती को स्थानीय ग्राम पंचायत हाड़ौती द्वारा जारी पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक सपोटरा द्वारा किया गया है, उक्त पंजीकृत पट्टे की प्रमाणित प्रति आदि कुल 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 की सूचना के संबंध में ग्राम हाड़ौती के आराजी खसरा नं. 576 आबादी की संवत् 2064 से 2075 तक की कुल तीन जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपि कार्यालय हाजा के पत्रांक 121 दिनांक 30.06.2021 को आवेदक के पते पर डाक से भिजवा दी गई है। बिन्दु संख्या 2 के संबंध में उप पंजीयक सपोटरा के यहां कोई पट्टा पंजीयन नहीं होने संबंधी रिपोर्ट भी उक्त पत्र के साथ भिजवा दी गई है। अंत में अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 की सूचना डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है एवं बिन्दु संख्या 2 के संबंध में उप पंजीयक सपोटरा के यहां कोई पट्टा पंजीयन नहीं होने की सूचना भी प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली